कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(परिकल्प एवं नियोजन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या : 376 /अनिबामं/यू-7/2016, दिनांकः लखनऊ : 02/06/16

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित हरियाणा, उत्तराखण्ड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों से होकर नदियों तथा नालों का पानी इस प्रदेश में प्रवेश करता है। इन प्रदेशों से आने वाले पानी के कारण उत्पन्न होने वाली बाढ़ समस्याओं तथा उनके निराकरण हेतु उच्च स्तरीय अन्तर्राज्यीय विचार-विमर्श हेतु निम्नलिखित मुख्य अभियन्ताओं को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है :-

- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं ज0सं0वि0, उ0प्र0, ओखला (नई दिल्ली)।	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड (यमुना बेसिन)
- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं ज0सं0वि0, उ0प्र0, मेरठ।	उत्तराखण्ड (गंगा बेसिन)
- मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई एवं ज0सं0वि0, उ0प्र0, गोरखपुर।	बिहार
- मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई एवं ज0सं0वि0, उ0प्र0, झांसी।	मध्य प्रदेश

उपरोक्त मुख्य अभियन्ता आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय बाढ़ समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रदेशों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर समुचित प्रभावी कार्यवाही करेंगे। अन्तर्राज्यीय बाढ़ समस्याओं के निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही की सूचना मुख्यालय पर मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0) बाढ़, लखनऊ को आवश्यक समन्वय हेतु प्रेषित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र से प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदियों के कारण उत्पन्न होने वाली **अन्तर्राष्ट्रीय बाढ़ समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली को शारदा नदी, मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ को घाघरा नदी, मुख्य अभियन्ता (सरयू-प्रथम), फैजाबाद को सरयू नदी तथा मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर को राप्ती व गण्डक नदी हेतु** नामित किया जाता है, जो बाढ़ अवधि में केन्द्रीय जल आयोग से ससमय सूचना प्राप्त करने हेतु सम्पर्क व समन्वय स्थापित करेंगे।

सी0डी0 राम 2/6/16
प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)
02/06/16

संख्या : 376 /अनिबामं/यू-7/तदिनांकः 02/06/16
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (नियोजन/पश्चिम/पूर्व/दक्षिण/मध्य/रूहेलखण्ड) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ/मेरठ/गोरखपुर/झांसी/लखनऊ/बरेली।
4. मुख्य अभियन्ता, अपर गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग जान्हवी भवन सेक्टर-21, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (यमुना/गंगा/गण्डक/बेतवा/शारदा/शारदा सहायक/सरयू-प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, ओखला/मेरठ/गोरखपुर/झांसी/बरेली/लखनऊ/फैजाबाद।
6. मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।

सी0डी0 राम 2/6
प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)
02/06/16

N.K.Sharma 02/6/2016 2/6/16 SE. 02.06.16 (EBU-7)

awneesh C:\Users\acer\Desktop\dekstop file\tatbandh\rakesh vishwakarma\barh-2015\2016\GPF karyalaya gyap.doc